प्रेस विज्ञप्ति

01/05/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ के कस्टम चावल मिलिंग घोटाले के प्रमुख आरोपियों में से एक मनोज सोनी को दिनांकः 30/04/2024 को गिरफ्तार कर लिया है। वह छत्तीसगढ़ सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे और अक्टूबर, 2022 से अक्टूबर, 2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात थे।

मार्कफेड के एमडी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान चावल मिल मालिकों से अवैध रिश्वत वसूली की एक संगठित प्रणाली संचालित की जा रही थी।

ईडी ने आईटी जाँच शाखा(विंग), रायपुर द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के खुलासे के आधार पर जाँच शुरू की, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य चावल मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ लिमिटेड (मार्कफेड) के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके विशेष प्रोत्साहन के दुरुपयोग की साजिश रची और करोड़ों रुपये की रिश्वत अर्जित की। खरीफ वर्ष 2021-22 तक धान की कस्टम मिलिंग के लिए चावल मिलर्स को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से धान के प्रति क्विंटल पर रुपये 40/- के एक विशेष प्रोत्साहन का भुगतान किया गया और बाद में, इसे अत्यधिक रुप से बढ़ाकर रुपये 120/- प्रति क्विंटल धान कर दिया गया जिसका भुगतान दो किश्तों में रुपये 60/- प्रत्येक के लिए किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मार्कफेड के एमडी मनोज सोनी के साथ मिलकर चावल मिलर्स से प्रत्येक क्विंटल धान के लिए रुपये 20/- प्रति किस्त रिश्वत की रकम वसूलना शुरू कर दिया। नकद राशि का भुगतान करने वाले चावल मिलर्स का विवरण जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा संबंधित जिला विपणन अधिकारी (डीएमओ) को भेजा गया था। चावल मिलर्स के बिल प्राप्त होने पर डीएमओ ने संबंधित जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन से प्राप्त विवरण की क्रॉस जाँच की; इसके बाद यह जानकारी मार्कफेड के मुख्य कार्यालय को अग्रेषित कर दी गई। मार्कफेड एमडी द्वारा केवल उन्हीं राइस मिलर्स के बिलों को भुगतान के लिए मंजूरी दी गई, जिन्होंने एसोसिएशन को नकद राशि का भुगतान किया था।

ईडी की जाँच से पता चला कि विशेष प्रोत्साहन को रुपये 40/- से बढ़ाकर रुपये 120/- प्रति क्विंटल करने के बाद रुपये 100 करोड़ से अधिक की रिश्वत प्राप्त की गई थी जो तत्कालीन एमडी, मार्कफेड मनोज सोनी की सक्रिय सहायता से संभव हुआ था।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।